न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी श्री हंसमुख कुमार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र सं.109/2013

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
नोना पुत्र केशा जाति ब्राहाण (पुरोहित) उम्र व्यस्क निवासी सनवाडा तहसील व जिला सिरोही		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1– प्रार्थी की ओर से वकील श्री अशोक कुमार पुरोहित
2– अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री)

राजस्व प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

निर्णय दिनांक 13 –1–2020

प्रार्थी ने जरिये वकील यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का विरूद्व स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही का इस न्यायालय मे दिनांक 5–7–2013 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया है कि ग्राम आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही मे प्रार्थी नोना पुत्र केशा के खातेदारी मालकी व कब्जे काश्त की कृषि आराजी राजस्व खाता संख्या 124 खसरा नंबर 602 क्षैत्रफल 2.4300 हैक्टेयर किस्म बारानी 2 आई हुई है जिसकी जमाबंदी वास्ते सबुत प्रार्थनापत्र के संलग्न है। ग्राम आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही के वर्तमान भू–नाप खसरा संख्या 602 के गत भू–माप संवत 2051–2054 अनुसार गत खसरा नंबर 217/मिन.1/18 रकबा 15 बीघा थे । आराजी के मिलान क्षैत्रफल की नकल एवं जमाबंदी संवत 2051–2054 वास्ते सबुत आवेदन के साथ है। उक्त वर्णित आराजी खसरा नंबर 217/मिन.1/18 रकबा 15 बीघा प्रार्थी की खातेदारी आराजी गत भू–माप के खसरा नंबर 218/मिन.1/6 की भूमि भू–अधिकार अभिलेख के नक्शा ट्रेस व मौके पर पास पास स्थित थी । वर्तमान भूप्रबन्ध संवत 2058–62 के मध्य भूप्रबन्ध के अधिकारियों/कर्मचारियां /भू–मापको ने प्रार्थी की खातेदारी की खसरा नंबर 217/मिन.1/18 रकबा 15 बीघा की तरमीम को नजर अंदाज कर बिना मौके/कब्जे अनुसार तरमीम की जॉच किये बगैर वर्तमान भूप्रबन्ध ने प्रार्थी के खातेदारी आराजी वर्तमान खसरा नंबर 602 वर्तमान नक्शा ट्रेस मे अन्यत्र दर्शाया है जो सर्वथा गलत व मिथ्या है एवं भू–राजस्व अधिनियम के तहत बने भू–अभिलेख के नियमों के सर्वथा विपरित है। उक्त प्रार्थनापत्र गत भू–नाप के खसरा नंबर 217/मिन.1/18 ररकबा 15 बीघा की तरमीम गत भू माप के अनुसार नवीन भूप्रबन्ध के द्वारा निर्मित सर्वे व नक्शे में मौके/कब्जे अनुसार तरमीम शुदा नक्शे मे दुरूस्ती हेतु प्रार्थी ने यह आवेदन पेश किया है। अतः बाद सुनवाई प्रार्थनापत्र साक्ष्य सबुत प्रार्थी के खातेदारी आराजी के खसरा नंबर 602 मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील व जिला सिरोही का वर्तमान नक्शा ट्रेस मे मौके/कब्जे अनुसार शुद्विकरण किये जाने के आदेश प्रदान करावें ।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र व संलग्न फार्म नंबर 3 मे वर्णित दस्तावेजात प्रतियों मे मौजा आमली पटवार हल्का वेलांगरी तहसील सिरोही की जमाबंदी संवत 2068 से 2071 के खाता नंबर 124 नया खसरा नंबर 602 रकबा 2.4300 हैक्टेयर तथा गत जमाबंदी संवत 2051–2054 के नया खाता नंबर 113 खसरा नंबर 217/मिन.1/18 क्षैत्रफल 15 किस्म पहाड की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन करने पर प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से यह न्यायालय प्रथम दृष्टियॉ सहमत होने से दिनांक 5–7–201 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी तहसीलदार,सिरोही को जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया । उक्त नोटिस इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 5–8–2013 को प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी पैरोकार सरकार को जवाब पेश करने हेतु न्यायहित मे समय दिया गया।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 18–6–2018 को अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । अप्रार्थी तहसीलदार सिरोही ने अपने उक्त जवाब मे यह कथन किया कि ग्राम आमली के खसरा नंबर 217/मी./1/10 के वर्तमान खसरा नंबर 602 वर्तमान खसरा को राजस्व नक्शे मे भूप्रबन्ध विभाग द्वारा बिना मौके कब्जे अनुसार नही किये जाने बाबत प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। चूंकि गत खसरा नंबर 217 बडा चक था । जिसमे वर्तमान नये खसरा नंबर 75 बने है एवं मौके पर रेकर्ड अनुसार भिन्न स्थिति है। इन्ही खसरा नंअबर 217 से संबंधित अन्य प्रकरणों मे मौका निरीक्षण 26–1–2018 को किया जा चुका था जो मूल मोका फर्द प्रकरण संख्या 77/2012 के संलग्न है। मौके पर खातेदार का कब्जा भी रेकर्ड अनुसार सही नही है। दोनो खसरा नंबर की विस्तृत पैमाईश से स्थिति स्पष्ट हो सकती है। सही मौके की स्थिति एवं सही जानकारी हेतू भूप्रबन्ध विभाग से विस्तृत सर्वे करवाकर ही स्थिति स्पष्ट हो सकती है। इस न्यायालय मे दिनांक 6–1–2020 को विचारण प्रकरण मे प्रार्थनापत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट पर वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी स्टेट तहसीलदार सिरोही की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालन्द्री) ने हाजिर होकर अंतिम बहस करने से अंतिम बहस सुनी गई ।

हमने विचाराधीन प्रकरण की मूल पत्रावली मय प्रार्थनापत्र व जवाब व संलग्न राजस्व रेकर्ड की प्रतियों का गहनता पूर्वक अवलोकन कर उस पर मनन किया । वकील प्रार्थी व अप्रार्थी स्टेट की ओर से पैरोकार सरकार (नायब तहसीलदार कालंद्री) की अंतिम बहस पर मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया गया कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र के पक्ष मे मिलान खसरा रकबा क्षैत्रफल पेश नही किया है और न ही आवंटन आदेश व तरमीम नक्षा की प्रति पेश नही की है जिससे यह ज्ञात नही होता है कि प्रार्थी किस खसरा नंबर मे कितने रकबे पर कहॉ काबिज था तथा प्रार्थी किस खसरा नंबर मे बैठा है उसकी दुरूती से अवगत नही करवाया है। प्रार्थी किस प्रकार की रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाना चाहता है यह भी प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र मे स्पष्ट नही किया है । गत खसरा नंबर 217 बडा चक था । जिसमे वर्तमान नये खसरा नंबर 75 बने है एवं मौके पर रेकर्ड अनुसार भिन्न स्थिति है। इन्ही खसरा नंअबर 217 से संबंधित अन्य प्रकरणों मे मौका निरीक्षण 26–1–2018 को किया जा चुका था जो मूल मोका फर्द प्रकरण संख्या 77/2012 के संलग्न है। मौके पर खातेदार का कब्जा भी रेकर्ड अनुसार सही नही है। तहसीलदार सिरोही की रिपॉट अनुसार मौके की स्थिति व कब्जे मे सर्वथा भिन्नता है। खातेदारो के कब्जे भी रेकर्ड अनुसार सही नही है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

निरन्तर पेज नं. 2

1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही का वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का परिपोषणीय नही होने से खारीज किया जाता है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 13–1–2020 को मेरे हस्ताक्षर,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Hansmukh Kumar
Date: 2020.02.03 17:29:50 IST
Reason: SelfAttested
Location: